FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0128 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/06/2024 17:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/06/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:04 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/06/2024 **Time (समय):** 14:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/06/2024 17:28:44 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** Khirni Chauraha, Bolli

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Arman Gujar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Nanda Gujar

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2004 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Gothada, Mitrpura, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Gothada, Mitrpura, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ashish Meena		पिता:Tarachand Meena	1. Bpuye,मित्रपुरा ,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 6,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि मै अरमान गुर्जर पुत्र श्री नंदा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हु। ग्राम गोठडा नया खाता 6 में खसरा नम्बर 213 रकबा 1.66 बारानी 2, खसरा सेख्या 569 रकबा 0.23 चाही 1, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 चाही 1, खसरा संख्या 575 रकबा 0.23 चाही 1, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.73 चाही 2, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.03 गै.मु. चाह, खसरा संख्या 780 रकबा 0.47 चाही 2, खसरा संख्या 791 रकबा 0.24 चाही 3, खसरा नम्बर 797 रकबा 0.32 चाही 3 कुल किता 9 कुल रकबा 4.11 हैक्टयर मे से हिस्सा 2/9 तथा नया खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 68 रकबा 2.16 बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व नया खाता संख्या 154 में खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 रकबा बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 4/9 हिस्सा, नया खाता संख्या 193 में खसरा नम्बर 785 रकबा 0.76 चाह 3, खसरा नम्बर 800 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 801 रकबा 0.48 चाही 3, खसरा संख्या 802 रकबा 0.71 चाही 3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/9 एवं नया खाता सख्या 195 में खसरा नम्बर 581 रकबा 0.04 गै.मु. चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर में से हिस्सा 2/27, नया खाता संख्या 196 में खसरा नम्बर 792 रकबा 0.05 गै.मु. चाह कुल किता 1 रकबा 0.05 हैक्टेयर मे से 2/27, नया खाता संख्या 197 में खसरा नम्बर 661 रकबा 1.82 बारानी 2 कुल किता 1 रकबा 1.82 हैक्टेयर में से हिस्सा 2/27, नया खाता संख्या 199 में खसरा नम्बर 573 रकबा 0.08 गै.मु. चाह कुल किता 1 रकबा 0.08 में से हिस्सा 2/27 को मेरी बुआ कानी बाई, गोली बाई, बिषनी बाई व मेरी दादीजी ग्यारसी बाई ने हक त्याग मेरे पिताजी श्री नंदलाल गुर्जर व उनके भाई हरिप्रसाद व हंसराज गुर्जर निवासीगण गोठडा को दिया था। जिसकी दिनांक 12.06.2024 से तहसील में कार्यवाही मेरे द्वारा की जा रही है तथा ग्राम गोठडा नया खाता 6 में खसरा नम्बर 213 रकबा 1.66 बारानी 2, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.73 चाही 2, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.03 गै.मु. चाह, कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 हैक्टयर मे से हिस्सा 1/9 तथा नया खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 68 रकबा 2.16 बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 1/18 हिस्सा, नया खाता संख्या 154 में खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 रकबा बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 2/9 हिस्सा मैने नानगी पुत्री रामपाल गुर्जर व सीता पुत्री रामपाल गुर्जर से 200000 रूपये में खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 21.06.2024 को हुयी थी। लेकिन उक्त जमीन का अभी तक मेरे नाम नामान्तरण नही खुला है। मेरे द्वारा खरीदी गयी जमीन का नामान्तरण खुलवाने तथा अपने पिता के नाम हक त्याग की कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री आशीष मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर से मिला तो उन्हाने कहाँ कि तेरे नाम जमीन का नामान्तरण खोलने के 5000 रूपये व तेरे पिताजी व तेरे चाचाओ के नाम हक त्याग करने के 5000 रूपये लगेगे। मैने कहाँ कि रूपये किस बात के लगेगे तो पटवारी साहब कहने लगे कि यह मेरी फीस है जब तुम मुझे मेरी फीस दोगे तब ही तेरा काम होगा। मैं अपने जायज काम के बदले श्री आशीष जी मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर को रिश्वत नही देना चाहता हु रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता है। मेरी श्री आशीष जी मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर से कोई रंजीष व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी अरमान गुर्जर पुत्र श्री नंदा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर। मोबाईल नम्बर कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक दिनांक 26.06.2024 समय 2 पी0एम0 पर परिवादी श्री अरमान गुर्जर पुत्र श्री नंदा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् झाबर मल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मै ग्राम गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हु। ग्राम गोठडा नया खाता 6 में खसरा नम्बर 213 रकबा 1.66 बारानी 2, खसरा संख्या 569 रकबा 0.23 चाही 1, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 चाही 1, खसरा संख्या 575 रकबा 0.23 चाही 1, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.73 चाही 2, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.03 गै.मु. चाह, खसरा संख्या 780 रकबा 0.47 चाही 2, खसरा संख्या 791 रकबा 0.24 चाही 3, खसरा नम्बर 797 रकबा 0.32 चाही 3 कुल किता 9 कुल रकबा 4.11 हैक्टयर मे से हिस्सा 2/9 तथा नया खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 68 रकबा 2.16 बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व

नया खाता संख्या 154 में खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 रकबा बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 4/9 हिस्सा, नया खाता संख्या 193 में खसरा नम्बर 785 रकबा 0.76 चाह 3, खसरा नम्बर 800 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 801 रकबा 0.48 चाही 3, खसरा संख्या 802 रकबा 0.71 चाही 3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/9 एवं नया खाता सख्या 195 में खसरा नम्बर 581 रकबा 0.04 गै.मु. चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर में से हिस्सा 2/27, नया खाता संख्या 196 में खसरा नम्बर 792 रकबा 0.05 गै.मु. चाह कुल किता 1 रकबा 0.05 हैक्टेयर मे से 2/27, नया खाता संख्या 197 में खसरा नम्बर 661 रकबा 1.82 बारानी 2 कुल किता 1 रकबा 1.82 हैक्टेयर में से हिस्सा 2/27, नया खाता संख्या 199 में खसरा नम्बर 573 रकबा 0.08 गै.मु. चाह कुल किता 1 रकबा 0.08 में से हिस्सा 2/27 को मेरी बुआ कानी बाई, गोली बाई, बिषनी बाई व मेरी दादीजी ग्यारसी बाई ने हक त्याग मेरे पिताजी श्री नंदलाल गुर्जर व उनके भाई हरिप्रसाद व हंसराज गुर्जर निवासीगण गोठडा को दिया था। जिसकी दिनांक 12.06.2024 से तहसील में कार्यवाही मेरे द्वारा की जा रही है तथा ग्राम गोठडा नया खाता 6 में खसरा नम्बर 213 रकबा 1.66 बारानी 2, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.73 चाही 2, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.03 गै.मु. चाह, कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 हैक्टयर मे से हिस्सा 1/9 तथा नया खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 68 रकबा 2.16 बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 1/18 हिस्सा, नया खाता संख्या 154 में खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 रकबा बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 2/9 हिस्सा मैने नानगी पुत्री रामपाल गुर्जर व सीता पुत्री रामपाल गुर्जर से 200000 रूपये में खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 21.06.2024 को हुयी थी। लेकिन उक्त जमीन का अभी तक मेरे नाम नामान्तरण नही खुला है। मेरे द्वारा खरीदी गयी जमीन का नामान्तरण खुलवाने तथा अपने पिता के नाम हक त्याग की कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री आशीष मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर से मिला तो उन्हाने कहाँ कि तेरे नाम जमीन का नामान्तरण खोलने के 5000 रूपये व तेरे पिताजी व तेरे चाचाओ के नाम हक त्याग करने के 5000 रूपये लगेगे। मैने कहाँ कि रूपये किस बात के लगेगे तो पटवारी साहब कहने लगे कि यह मेरी फीस है जब तुम मुझे मेरी फीस दोगे तब ही तेरा काम होगा। मैं अपने जायज काम के बदले श्री आशीष जी मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर को रिश्वत नही देना चाहता हु रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता है। मेरी श्री आशीष जी मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर से कोई रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित होकर हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड व जमीन की रजिस्ट्री व हक त्याग की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 3 पी.एम.पर परिवादी श्री अरमान गुर्जर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हु। श्री आशीष जी मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर ने मुझे कल सुबह अपने गाँव बपूई में अपने ऑफिस पर बुलाया है। इस कारण मैं कल दिनांक 27.06.2024 को श्री आशीष जी मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर से मिलकर मेरी जमीन का नामान्तरण खोलने व मेरे पिताजी के हक त्याग करने के सम्बन्ध में वार्ता करूगाँ तथा रिश्वत में दी जाने वाले राशि के सम्बन्ध में भी वार्ता कर लूंगा। समय 03.30 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 को तलब कर परिवादी श्री अरमान गुर्जर से आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईष की गई तथा परिवादी को समझाईस की गई कि आरोपी के पास मॉग सत्यापन वार्ता करने जाने से पूर्व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे। समय करीब 3.55 पी.एम. पर परिवादी को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूकसत किया गया। दिनांक 27.06.2024 समय 7.49 ए.एम.पर परिवादी श्री अरमान गुर्जर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि मेरी श्री आशीष जी मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर से बात हुयी है उन्होने मुझे सुबह को 9.30 बजे के आस-पास अपने गाँव बपूई में अपने ऑफिस में बुलाया है। अतः आप श्री जलसिंह जी को वायस रिकार्डर देकर ग्राम गोठडा भेज देवे। इस पर समय 8 ए.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 को सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर सुपुर्द कर उचित हिदायत देकर मॉग सत्यापन वार्ता हेतु ग्राम गोठडा तहसील मित्रपुरा रवाना किया गया। समय 12.30 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 मय परिवादी श्री अरमान गुर्जर के ए.सी.बी. कार्यालय टोक उपस्थित आया तथा श्री जलसिंह कानिस्टेबल ने वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि श्री जलसिंह जी कानि. साहब समय करीब 9.15 ए.एम. के आस-पास मेरे गाँव गोठडा आये। फिर मैं व जलसिंह जी मेरे गाँव से रवाना होकर ग्राम बपूई पहुचा। समय 9.35 ए.एम. पर जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर चालू करके मुझे देकर श्री आशीष मीना पटवारी साहब से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया था तथा जलसिंह जी वही पर रूक गये थे। मैं जलसिंह जी के पास से रवाना होकर श्री आशीष मीना पटवारी साहब के ऑफिस के बाहर पहुचा तो

[redacted]

वहॉं पर पटवारी साहब नही थे मैंने पटवारी साहब को फोन किया तो पटवारी साहब ने 5 मिनट में आने के लिये कहॉं। थोडी देर बाद पटवारी साहब आये। जिनसे मैने मेरे पिताजी के हक त्याग व मेरे द्वारा खरीदी जमीन का नामान्तरण खोलने हेतु वार्ता की तो पटवारी साहब ने नामान्तरण खोलने के 4500 रूपये तथा हक त्याग के 1500 रूपये कुल 6000 रूपये रिश्वत देने हेतु कहॉं तथा 3 घण्टे बाद बौली मिलने तथा रिश्वत देने हेतु कहॉं। इसके बाद मैं वहॉं से रवाना होकर जलसिंह जी के पास आ गया तथा वायस रिकार्डर को जलसिंह जी को दे दिया था जिन्होने रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया था तथा उनको सारी बात बतायी थी। रवाना होकर आपके पास आये है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. जलसिंह से परिवादी द्वारा दी गयी जानकारी के बारे में पूछा तो कानिस्टेबल श्री जलसिंह ने परिवादी के कथनो की ताईद की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. श्री जलसिंह द्वारा पेश वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी व कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन की पुष्टि हो चुकी है। सरकारी वायस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास में रखा गया। समय 12.55 पी.एम.पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानिस्टेबल 32 को परिवादी श्री अरमान गुर्जर के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक के नाम तहरीर जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया। समय 1.15 पी.एम. श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानिस्टेबल 32 के हमराह कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक से दो स्वंतत्र गवाह 1. मनीष कुमार मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना जाति मीना उम्र 29 साल निवासी डेकवा जिला व तहसील सवाईमाधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक मोबाईल नम्बर 2. श्री आलोक कुमार यादव पुत्र स्वं. श्री लाल बहादुर यादव जाति यादव उम्र 28 साल निवासी पुरे बेनीदत्त शुक्ला, पिपरी, पोस्ट कोटिया पुलिस थाना कुडवार जिला सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश हाल कनिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक मोबाईल नम्बर के उपस्थित कार्यालय आये। दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय लिया जाकर परिवादी व स्टाफ से परिचय करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी-अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गवाहान को पढाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। गवाहान को वायस रिकार्डर चालु कर मॉंग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनवाये गये। सरकारी वायस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। समय 1.30 पी.एम.पर परिवादी श्री अरमान गुर्जर को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 12 नोट 6000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री गणेश सिंह कानि. चालक 375 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री गणेश सिंह से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अरमान गुर्जर के पहनी हुए पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री मनीष कुमार से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पाउडर लगी हुयी राशि परिवादी के पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री गणेश सिंह से रखवायी गयी। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का दृष्टान्त देकर समझाई गई। तथा परिवादी को सिर पर साफी बांधकर रिश्वत राशि लेन-देन का ईशारा करने हेतु समझाया गया एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी से आरोपी की लोकेशन के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि श्री आशीष मीना पटवारी पटवार हल्का गोठडा ने मुझे बौली बुलाया है। अतः पटवारी साहब बौली ही मिलेगे। इसी दौराने प्राईवेट गाडी वाले को फोन किया गया था जो मय वाहन उपस्थति चौकी हाजा आया है। समय 2.15 पी.एम पर परिवादी श्री अरमान गुर्जर को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से तथा श्री मोहम्मद जुनेद हैड कानिस्टेबल 32 को स्वंय की मोटरसाईकिल से मय श्री जलसिंह कानि. 248 के रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ श्री आसिफ खॉं स.उ.नि. श्री अजित सिंह कानि. 56 श्री ईश्वर प्रकाश कानि0 256 एवं स्वतंत्र गवाह श्री मनीष कुमार व श्री आलोक यादव तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, प्रिन्टर, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन से बौली जिला सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। श्री गणेश सिंह कानि. 375 को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 3.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी व गवाहान मय प्राईवेट वाहनो के बौली से पहले एकान्त स्थान पर पहुचा। जहॉं पर परिवादी को आरोपी की लोकेशन हेतु जानकारी करने के लिये कहॉं तो परिवादी ने बताया कि अभी आरोपी से बात हुयी है उन्होने मुझे खिरनी चौराहे बौली पर बुलाया है। परिवादी को श्री जलसिंह कानि. 248 से सरकारी वायस रिकार्डर चालू कर आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु खिरनी चौराहा बौली रवाना किया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहनो के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। समय 4.15 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय 4.04 पीएम पर परिवादी अरमान गुर्जर पुत्र श्री नंदा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर ने खिरनी चौराहा, बौंली के पास अपने सिर पर साफी बांधकर रिश्वत प्राप्ति के सम्बन्ध में ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी के पास एक व्यक्ति हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल नम्बर RJ14-HA-1649 के पास खडा था

। परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। वॉयस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मोटरसाईकिल के पास खडे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि "यह श्री आशीष मीना पटवारी, पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर है जिन्होंने मेरे से ग्राम गोठडा में स्थित जमीन को मेरे पिताजी के नाम हकत्याग करने तथा मेरे द्वारा खरीदी जमीन का मेरे नाम नामान्तरण खोलने की एवज में 6,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पीछे की बायी जेब में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल के पास खडे हुए व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री आशीष मीना पुत्र श्री ताराचन्द मीना जाति मीना उम्र 24 निवासी बपुई थाना मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर का होना बताया। उक्त व्यक्ति को परिवादी से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो वह घबरा गया तथा फिर बोला कि "मैनें इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की, इन्होनें ही अपनी मर्जी से यह रूपये दिये है।" इस पर परिवादी अरमान गुर्जर ने स्वतः ही बताया कि "यह झुंठ बोल रहा है, ग्राम गोठडा नया खाता 6 में खसरा नम्बर 213 रकबा 1.66 बारानी 2, खसरा सख्या 569 रकबा 0.23 चाही 1, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20 चाही 1, खसरा संख्या 575 रकबा 0.23 चाही 1, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.73 चाही 2, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.03 गै.मु. चाह, खसरा संख्या 780 रकबा 0.47 चाही 2, खसरा संख्या 791 रकबा 0.24 चाही 3, खसरा नम्बर 797 रकबा 0.32 चाही 3 कुल किता 9 कुल रकबा 4.11 हैक्टयर मे से हिस्सा 2/9 तथा नया खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 68 रकबा 2.16 बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा व नया खाता संख्या 154 में खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 रकबा बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 4/9 हिस्सा, नया खाता संख्या 193 में खसरा नम्बर 785 रकबा 0.76 चाह 3, खसरा नम्बर 800 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 801 रकबा 0.48 चाही 3, खसरा संख्या 802 रकबा 0.71 चाही 3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/9 एवं नया खाता सख्या 195 में खसरा नम्बर 581 रकबा 0.04 गै.मु. चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर में से हिस्सा 2/27, नया खाता संख्या 196 में खसरा नम्बर 792 रकबा 0.05 गै.मु. चाह कुल किता 1 रकबा 0.05 हैक्टेयर मे से 2/27, नया खाता संख्या 197 में खसरा नम्बर 661 रकबा 1.82 बारानी 2 कुल किता 1 रकबा 1.82 हैक्टेयर में से हिस्सा 2/27, नया खाता संख्या 199 में खसरा नम्बर 573 रकबा 0.08 गै.मु. चाह कुल किता 1 रकबा 0.08 में से हिस्सा 2/27 को मेरी बुआ कानी बाई, गोली बाई, बिषनी बाई व मेरी दादीजी ग्यारसी बाई ने हक त्याग मेरे पिताजी श्री नंदलाल गुर्जर व उनके भाई हरिप्रसाद व हंसराज गुर्जर निवासीगण गोठडा को दिया था। जिसकी दिनांक 12.06.2024 से तहसील में कार्यवाही मेरे द्वारा की जा रही है तथा ग्राम गोठडा नया खाता 6 में खसरा नम्बर 213 रकबा 1.66 बारानी 2, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.73 चाही 2, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.03 गै.मु. चाह, कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 हैक्टयर मे से हिस्सा 1/9 तथा नया खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 68 रकबा 2.16 बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 1/18 हिस्सा, नया खाता संख्या 154 में खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 रकबा बारानी 2, कुल किता 1 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 2/9 हिस्सा मैने नानगी पुत्री रामपाल गुर्जर व सीता पुत्री रामपाल गुर्जर से 200000 रूपये में खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 21.06.2024 को हुयी थी। लेकिन उक्त जमीन का अभी तक मेरे नाम नामान्तरण नही खुला है। मेरे द्वारा खरीदी गयी जमीन का नामान्तरण खुलवाने तथा अपने पिता के नाम हक त्याग की कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री आशीष मीना हल्का पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर से मिला तो इन्होने कहाँ कि तेरे नाम जमीन का नामान्तरण खोलने के 5000 रूपये व तेरे पिताजी व तेरे चाचाओ के नाम हक त्याग करने के 5000 रूपये लगेगे। इस पर आज दिनांक 27.06.2024 को सुबह लगभग 9.45 बजे पटवारी साहब से ग्राम बपुई में इनके ऑफिस में मिला तो उन्होंने मेरे पिताजी के हक त्याग व मेरे द्वारा खरीदी जमीन का नामान्तरण खोलने हेतु वार्ता की तो पटवारी साहब ने नामान्तरण खोलने के 4500 रूपये तथा हक त्याग के 1500 रूपये कुल 6000 रूपये रिश्वत देने हेतु कहाँ तथा 3 घण्टे बाद बौली मिलने तथा रिश्वत देने हेतु कहाँ। जिस पर अभी इनकी मांग के अनुसरण में 6,000 रूपये रिश्वत राशि इनके बताए स्थान पर आकर दी। पटवारी जी ने रिश्वत राशि अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स की बांयी जेब में रखी और कहां कि तेरा काम हो जायेगा। इस पर आरोपी को तसल्ली देकर पुनः पूछा गया तो रोने लगा तथा कहने लगा " दिनांक 27.06.2024 को श्री अरमान गुर्जर मेरे पास मेरे गांव में स्थित ऑफिस पर आया था। मुझसे कहा कि मेरी बुआ ने उनके हिस्से की जमीन को मेरे पिताजी व मेरे चाचाओं के नाम हकत्याग कर दिया है। जिसकी कार्यवाही आप कर रहे हो तथा मैंने गांव गोठडा में जमीन ली है जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, नामान्तरण मेरे नाम से खुलना है, मेरे काम को जल्दी कर दो, चाहे कितनी भी फीस ले लो। अरमान गुर्जर के बार बार कहने पर मैंने उसको दोनो काम के 6,000 रूपये बता दिए थे। मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूं।" घटनास्थल आम रास्ता होने से काफी भीड एकत्रित हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी श्री आशीष मीना पटवारी के दाहिने हाथ को स्वतंत्र गवाह श्री मनीष कुमार से तथा बाये हाथ को स्वतंत्र गवाह आलोक कुमार से कलाई के उपर से पकडवाकर हमराह लेकर मय आरोपी की मोटरसाईकिल के पुलिस थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर पहुचा। जहां थानाधिकारी कक्ष के बाहर श्री अवतार सिंह पुलिस निरीक्षक थाना बौंली मौजुद मिले जिनको मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने अपना व हमराही जाप्ता का परिचय देकर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही के लिए उनके थाना कक्ष का उपयोग करने हेतु मौखिक सहमति चाही तो उन्होंने अपनी मौखिक सहमति देने पर मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता मय आरोपी श्री आशीष मीना के कक्ष में प्रवेश किया तथा अग्रिम ट्रैप कार्यवाही आरंभ की गयी। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ डिसपोजल प्लास्टिक के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन मय स्वतंत्र गवाहान के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी आशीष मीना के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन मय स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। साफ डिसपोजल के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री आशीष मीना के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन मय स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। डिस्पोजल गिलासो को बाहर फिकवाया गया। आरोपी के बताये अनुसार उसकी पहनी हुयी जीन्स की पीछे की बांयी जेब की तलाशी गवाह श्री मनीष कुमार से लिवाई गयी तो 500-500 रूपये के कुछ नोट दिखाई दिये, जिन्हें दोनों गवाहान से गिनवाये तो 500-500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया जाकर विवरण निम्नानुसार पाया गया। 1. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 0CD 163463 2. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 8TV 590326 3. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 6AB 843050 4. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 8TT 476120 5. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 9AE 807292 6. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 5LF 225401 7. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 0CH 364372 8. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 5KA 032203 9. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 4NS 620922 10. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 6EC 309775 11. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 7FP 767778 12. एक नोट 500 रूपये नम्बरी 9AQ 713907 उक्त रिश्वति राशि के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क-एन अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् एक साफ डिसपोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। आरोपी को पहनने हेतु एक अन्य पायजामा की व्यवस्था करवाकर आरोपी की पहनी हुयी जीन्स को ससम्मान उतरवाकर जीन्स की पीछे की बांयी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुयी, को उलटवाकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त पेंट के जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क-पी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लेन-देन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो लेन-देन वार्ता रिकार्डर में रिकार्ड होना पाया गया। आरोपी श्री आशीष मीना की तलाशी गवाह श्री मनीष कुमार से लिवायी गयी तो आरोपी की जीन्स की दाहिनी जेब से एक रेडमी सिक्स प्रो कम्पनी का मोबाईल मिला, जिसमें एक सिम जियो कम्पनी व दूसरी वोडाफोन आईडिया की सिम लगी हुई जिनमें जियो कम्पनी के सिम के नम्बर [redacted] है जो कि चालू हालत है। दूसरी सिम वोडाफोन आईडिया की बन्द हो रखी है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी एवं आरोपी के मध्य टेलिफोनिक वार्ता भी हुयी है, अतः उक्त मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क-एम अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री आशीष मीना की हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल नम्बर RJ14-HA-1649 को आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई अकलेश मीना को सुपुर्द की गई। समय 6.20 पी.एम.पर आरोपी श्री आशीष मीना पुत्र श्री ताराचन्द मीना जाति मीना उम्र 24 निवासी बपुई थाना मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री अरमान गुर्जर की जमीन का नामान्तरण खोलने तथा परिवादी के पिताजी के नाम हक त्याग करने की एवज में 10000 रूपये रिश्वति की मांग कर 6000 रूपये की रिश्वति राशि लेना तय हुआ। जिसके अनुसरण में आज दिनांक 27.06.2024 को 6000/- रूपये परिवादी श्री अरमान गुर्जर को देकर आरोपी श्री आशीष मीना पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर के पास आरोपी के बताए स्थान खिरनी चौराहा, बौंली जिला सवाईमाधोपुर पर भेजा, जिस पर आरोपी श्री आशीष मीना पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर .ने परिवादी से 6000 रूपये मौके पर ग्रहण किये, रिश्वति राशि के 6000/-रूपये आरोपी से बरामद किये गये। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा

गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 6.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान स.उ.नि., श्री जलसिंह कानि. 248, स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष कुमार, श्री आलोक यादव, परिवादी श्री अरमान गुर्जर के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु मय प्राईवेट वाहन के रवाना हुआ एवं श्री शेष जाप्ता व आरोपी को उचित हिदायत देकर पुलिस थाना बौली छोडा गया। समय 6.55 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट वाहन के घटना स्थल खिरनी चौराहा बौंली के पास पहुचा। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से नक्शा मौका मुर्तिब किया। समय 7.15 पी.एम. पर बाद नक्शा मौका मुर्तिब कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना बौली के लिये रवाना हुआ। समय 7.20 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय प्राईवेट वाहन के फिकराबाला का रवानाशुदा पुलिस थाना बौली पहुचा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी आशीष मीना मय प्राईवेट वाहन मय लेपटाप मय प्रिन्टर के आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ तथा श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 को परिवादी श्री अरमान गुर्जर के साथ उचित हिदायत कर पुलिस थाना बौली छोडा गया। समय 7.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट वाहन के आरोपी के रिहायशी आवास किराये के कमरे ग्राम बपुई पहुचा। जहाँ पर मकान मालिक श्री बलराम मीना के मकान में हमराही जाप्ता व आरोपी के भाई अकलेश मीना की उपस्थिति में आरोपी के कमरे की खाना तलाशी तथा पास ही आरोपी के मूल निर्माणाधीन मकान की तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। समय 8.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना बौली के लिये रवाना हुआ। समय 9.20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी आशीष मीना मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना बौली पहुचा। बाद ट्रेप कार्यवाही समय 9.49 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी आशीष मीना पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर मय ट्रेप बाक्स, जप्तशुदा व शील्डशुदा आर्टिकल्स, रिश्वति राशि, वायस रिकार्डर, कार्यालय लेपटाप व प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना बौली से ए.सी.बी. चौकी टोक के लिये रवाना हुआ। समय 11.45 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी आशीष मीना मय ट्रेप बाक्स, जप्तशुदा व शील्डषुदा आर्टिकल्स, रिश्वति राशि, वायस रिकार्डर, कार्यालय लेपटाप व प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. चौकी टोक आया। दिनांक 28.06.2024 समय 00.20 ए.एम. पर आरोपी श्री आशीष मीना को भोजन करवाया गया तथा श्री आसिफ खान स.उ.नि., श्री मोहम्मद जुनैद मय आरोपी आशीष मीना के आरोपी के स्वास्थय परीक्षण व सुरक्षार्थ कोतवाली में छोडने हेतु तहरीर व उचित हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 00.25 ए.एम.पर सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.06.2024 से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकलवाया जाकर वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रि०्रप्ट श्री जलसिंह कानि. 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयो में राईट (कॉपी) किया गया। 2 सीडीयो को पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए-1, ए-2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। इसी दौरान श्री आसिफ खान स.उ.नि. व मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 गिरफ्तारशुदा आरोपी आशीष मीना का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली टोक में दाखिल करवाकर चौकी हाजा पर उपस्थित आये तथा कार्य समापन पर प्राईवेट वाहन को रूकसत किया गया। समय 2 ए.एम. पर रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 27.06.2024 से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रि०्रप्ट श्री जलसिंह कानि. 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयो में राईट किया गया। 2 सीडीयो को पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क बी-1, बी-2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 3 ए.एम.पर रिश्वत मॉग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित 2 मूल मैमोरी कार्ड KDM 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम-1 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 3.30 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाशान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं समय 4 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 4.10 ए.एम.पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जप्तशुदा व शील्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, पी-1, पी-2 शील्डशुदा रिश्वति राशि 6000/- रूपये मार्क एन, जप्तशुदा पेन्ट का पैकिट मार्क "पी" जप्तशुदा मोबाईल पैकिट मार्क "एम" रिश्वत

मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित सीडियों पैकेट मार्क ए-1, ए-2, बी-1, बी-2 एवं रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता से सम्बन्धित 2 मूल मैमोरी कार्ड का शील्डशुदा पैकेट मार्क "एम-1" बतौर वजह सबूत जरिये आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक को जमा मालखाना करवाया गया। समय 4.30 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में श्री जलसिंह कानि. 248 का धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 4.45 ए.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडियाँ तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया । अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री आशीष मीना पुत्र श्री ताराचन्द मीना जाति मीना उम्र 24 निवासी बपुई थाना मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री अरमान गुर्जर की ग्राम गोठडा में खरीदी हुयी जमीन का नामान्तरण खोलने तथा परिवादी के पिताजी के नाम जमीन का हक त्याग करने की एवज में 10000 रूपये रिश्वत की मांग कर 6000 रूपये की रिश्वति राशि लेना तय हुआ। जिसके अनुसरण में दिनांक 27.06.2024 को 6000/- रूपये परिवादी श्री अरमान गुर्जर को देकर आरोपी श्री आशीष मीना पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर के पास आरोपी के बताए स्थान खिरनी चौराहा, बौंली पर भेजा, जिस पर आरोपी श्री आशीष मीना पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर ने परिवादी से 6000 रूपये मौके पर ग्रहण किये, रिश्वति राशि के 6000/-रूपये आरोपी से बरामद किये गये। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री आशीष मीना पुत्र श्री ताराचन्द मीना जाति मीना उम्र 24 निवासी बपुई थाना मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (झाबर मल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में श्री आशीष मीना पुत्र श्री ताराचन्द मीना, निवासी बपुई थाना मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गोठडा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,ईन्टें, अजमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 485 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 659-62 दिनांक 28.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाहीः चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/06/2024 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/07/1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)